राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रेमदेवी / खेमन्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	540/2020	
03/02/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्राथना प्रत्र स्थगन पर सुनी गई । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस के परिपेक्ष में अपीलाधीन आदेश दिनांक 25/02/2020 व उसके पश्चात् की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 17/03/2020 तक के लिये प्रतिबन्धित किये जाने का अन्तरिम आदेश पारित किया, तत्पश्चात् इस अपील की अपीलार्थीयों प्रेम देवी जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी प्रेमदेवी सख्यां 4 है द्वारा दिनांक 17/03/2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया, जिसके पश्चात् अपीलार्थी प्रेम देवी द्वारा आज दिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई जवाब प्रार्थना पत्र अथवा अपना पक्ष प्रस्तुत किये बगैर सीधे ही इस अपील के माध्यम् से अन्तरिम आदेश जैर अपील को चुनौती दी गई है, जो न्यायसंगत एवम् विधिअनुरुप प्रतीत नही होता है। क्योंकि अपीलार्थी को यदि अन्तरिम आदेश जैर अपील से कोई आपत्ति थी तो वह सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना उज्र प्रकट करते। अतः ऐसी परिस्थिति में अन्तरिम आदेश जैर अपील दिनांक 25/02/2020 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने से इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 22/12/2020 को रिकॉल कर निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, इस आदेश के पश्चात् उनके समक्ष नियत आगामी	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पेशी को उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निर्णय करें एवम् उभयपक्षों को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आदेश के पश्चात् नियत पेशी को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तदानुसार अपील निस्तारित की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)